रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261] नई दिल्ली, रविवार, मई 3, 2009/वैशाख 13, 1931

No. 261] NEW DELHI, SUNDAY, MAY 3, 2009/VAISAKHA 13, 1931

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2009

सा.का.नि. 305(अ).— केन्द्र सरकार सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण का विनियमन) विधेयक, 2003 (2003 का 34) की धारा 7 की उप धारा (1), धारा 8 की उप धारा 2, धारा 10 और धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियम, 2008 में निम्नलिखित और संशोधन करती है; अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का नाम सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) संशोधन नियम, 2009 है।

(2) ये 31 मई, 2009 को प्रवृत्त होंगे।

2. सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लेबलिंग) नियम, 2008 में

(1) नियम 2 में खण्ड (ख) के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

' "पैकेज" का अभिप्राय: किसी भी प्रकार के ऐसे पैक से है जिसमें उपभोक्ता बिक्री के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद को पैक किया गया हो लेकिन इसमें थोक बिक्री, अर्ध थोक बिक्री अथवा पूरे पैकेज शामिल नहीं होंगे यदि इन पैकेजों का प्रयोजन उपभोक्ता इस्तेमाल के लिए नहीं हो।'

(2) नियम 3, उप नियम (1) में खण्ड (ख) के लिए निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(ख)"विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियां पैक के अगले पैनल के मुख्य प्रदर्शन क्षेत्र के कम-से-कम चालीस प्रतिशत (40%) भाग में होंगी और पैकेज के ऊपर के कोने के समानांतर और उसी दिशा में अवस्थित होंगी जिस दिशा में सूचना मुख्य प्रदर्शन क्षेत्र में होगी ;

परन्तु शंकु-आकार के पैक पर पैक के सब से चौड़े सिरे को पैक का ऊपरी सिरा माना जाएगा। "

[सं. पी-16011/07/2005-पीएच]

बी. के. प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मुख्य नियम दिनांक 15 मार्च, 2008 के सा.का.नि. संख्या 182 (अ) के तहत प्रकाशित किए गए थे और बाद में उनमें दिनांक 29.9.08 के सा.का.नि. संख्या 693 (अ) और दिनांक 28.11.08 के का.आ. संख्या 2814 (अ) के तहत संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2009

G.S.R. 305(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 7, sub-section 2 of section 8, section 10 and section 31 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003) the Central Government hereby makes the following amendments to the Cigarettes and Other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008, namely:-

1. (1) These Rules may be called the Cigarettes and Other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on 31st May 2009.

2. In the Cigarettes and Other Tobacco Products (Packaging and Labelling) Rules, 2008

(1) In rule 2, for clause (b) the following clause shall be substituted, namely:-

‘ “package“ means any type of pack in which cigarette and other tobacco product is packaged for consumer sale but shall not include wholesale, semi wholesale or poora packages if such packages are not intended for consumer use.’

(2) In rule 3, in sub rule (1), for clause (b) the following clause shall be substituted, namely:-

(b) " the specified health warnings shall occupy at least forty percent (40%) of the principal display area of the front panel of the pack and shall be positioned parallel to the top edge of the package and in the same direction as the information on the principal display area:

Provided that for conical packs, the widest end of the pack shall be considered as the top edge of the pack:"

[No. 16011/07/2005-PH]

B. K. PRASAD, Jt. Secy.

Note :- Principal rules were published vide GSR No 182(E) dated 15th March, 2008 and subsequently amended vide GSR No. 693(E) dated 29-9-08 and Vide S.O. 2814 (E) dated 28-11-08.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.